हिन्दुस्ता

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

आवश्यक सूचना

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा आयोजित विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा द्वितीय चरण (TRE-2) के परीक्षाफल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों के Councelling के संबंध में।

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या–27 / 2023 के आलोक में विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा द्वितीय चरण (TRE–2) के अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों की परीक्षा दिसम्बर–2023 में आयोजित की गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है/होना है। सभी अभ्यर्थी उक्त परीक्षा परिणाम को बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाईट https:://www.bpsc.bih.nic.inपर देख सकते है।

उक्त के आलोक में ***अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु अनुशंसित*** अभ्यर्थियों का **Counselling** निम्न सारणी के स्तंभ–2 एवं 3 में अंकित पद एवं विषय के लिए स्तंभ–1 में अंकित तिथि के अनुसार **बाबू जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, सरदार पटेल मार्ग, बिहार, पटना के मुख्य सभागार (बड़ा हॉल) में 10:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक** निर्धारित है :–

दिनांक	द्वितीय चरण (TRE–2) का कक्षा स्तर	विषय
1	2	3
27.12.2023	प्रधानाध्यापक	–
27.12.2023	विद्यालय अध्यापक (कक्षा 6–10)	सभी विषय
28.12.2023	विद्यालय अध्यापक (कक्षा 11–12)	अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर, इतिहास,
29.12.2023	विद्यालय अध्यापक (कक्षा 11–12)	हिन्दी, भूगोल, सामाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखा, व्यवसायिक अध्ययन
30.12.2023	विद्यालय अध्यापक (कक्षा 1–5)	–

<u>नोटः–</u> **Counselling** की अंतिम तिथि विभाग द्वारा बाद में घोषित की जायेगी।

➢ **अनुशंसित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेशः–**

निर्धारित तिथि एवं समय को Counselling हेतु अभ्यर्थी अपने साथ निम्नांकित कागजात/अभिलेख लाना सुनिश्चित करेंगे :–

1. बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा–2023 का मूल प्रवेश–पत्र एवं उसकी एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. मूल आधार कार्ड एवं उसकी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
3. सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाऊनलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो, की एक–एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
4. CTET/BTET/STET उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट से डाउलोड वाटरमार्क प्रति की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
5. पासपोर्ट साईज का तीन फोटोग्राफ, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा किया गया था।
6. आरक्षण दावा से संबंधित मूल प्रमाण–पत्र एवं उसकी एक बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
7. जन्म तिथि में छूट (यदि लागू हो) से संबंधित दावा का प्रामाण पत्र एवं बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट से डाउनलोड वाटरमार्क प्रति की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
8. Counselling हेतु उपस्थित होने वाले वर्ग–1–5, 6–10 वर्ग, 11–12 एवं प्रधानाध्यापक के सफल अभ्यर्थी Orientation Programme के लिए 15 दिनों हेतु सभी आवश्यक तैयारी के साथ आएंगे।
9. अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इससे लिंक्ड मोबाईल नम्बर के साथ उपस्थित होंगे।
10. पंचायती राज/नगर निकायों के नियुक्त शिक्षक एवं आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति के पश्चात् एक पक्ष के अन्दर अपने नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विरमन प्रमाण पत्र प्राप्त कर विभाग को समर्पित करेंगे। अगर अभ्यर्थी सरकारी/अर्द्ध–सरकारी सेवा/नियोजन में हो तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण पत्र Counselling के समय साथ लाना सुनिश्चित करेंगे एवं एक पक्ष के अन्दर विरमन पत्र विभाग को समर्पित करेंगे।
11. अनुशंसित अभ्यर्थी अपने बैंक एकाउन्ट नम्बर के साथ CancelledCheque/Pass Book की प्रति Counselling के समय अपने साथ लाना सुनिश्चित करे।
12. सभी अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड भी साथ लेते आएंगे।
13. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रपत्र (दो प्रति मूल में) (विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/scstwelfare**) पर उपलब्ध है), Counselling के समय साथ लाना सुनिश्चित करेंगे।
14. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र (मूल में) एवं एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति Counselling के समय साथ लाना सुनिश्चित करेंगे।

<u>**नोटः–**</u>

(क) यदि अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्रों के साथ जाँच हेतु उपर्युक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते है तो उनकी अभ्यर्थिता (Candidature) रद्द करने का एकाधिकार विभाग का होगा।

(ख) प्रमाण पत्रों की जांच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(ग) उपरोक्त सूचना विभागीय वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/scstwelfare** पर भी देखी जा सकती है।

उक्त विज्ञापन वेबसाईट**State.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

निदेशक,
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

PR. No.014107 (SC & ST Welfare) 2023-24

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।